सं0. डीजीएसी/एलकेओ/एसएआर-आइआइटी(आइएसएम)/2020-21/205 दिनांकः 13 जनवरी 2021

सेवा में,

निदेशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइएसएम),
धनबाद-826004

विषय: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम), धनबाद के वर्ष 2019-20 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

1. मैं, वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम), धनबाद के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा समेत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूं ।

2. इन सभी दस्तावेजों की एक प्रति सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है ।

3. इस लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, परीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखे जाने के पूर्व इस पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम), धनबाद के शासी निकाय (बीओजी) द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत विचार कर इसे अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाना चाहिए ।

4. लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के साथ (i) लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अपनाने संबंधी शासी निकाय के संकल्प (ii) इसे संसद में प्रस्तुत किए जाने की तिथि और (iii) संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति यथा समय हमारे अभिलेख एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली को आगे प्रेषण के लिए कृपया इस कार्यालय को प्रेषित की जाए ।

5. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी संस्करण एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भेजा जाए ।

6. कृपया इस पत्र एवं इसके संलग्नकों की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

महानिदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम), धनबाद के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

1. हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवाशर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन 31 मार्च 2020 तक के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम), धनबाद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा कर ली है। यह वित्तीय विवरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आइएसएम) के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणें पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रचलनों के साथ अनुरूपता, लेखाकारण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी एवं एजी) की टिप्पणियां सम्मिलित हैं । वित्तीय लेन- देन पर विधि, नियमों एवं विनियमों(उपयुक्तता एवं नियमितता) तथा दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हों, निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं ।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । इन मानकों में हमने अपेक्षित योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा का निश्पादन समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जिससे कि वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हो । लेखा परीक्षा में नमूना जांच आाधारित जांच परीक्षण, साक्ष्य समर्थित राशि एवं वित्तीय विवरणों का प्रकटन सम्मिलित होता है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्तवपूर्ण प्राक्लनों का आंकलन तथा वित्तीय विवरणों से समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित होता है । हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत को समुचित आधार प्रदान करती है ।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ii) तुलन -पत्र, आय व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें प्रतिवेदन में लिया गया है उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे द्वारा बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइएसएम), धनबाद द्वारा आइआइटी अधिनियम, 1961 की धारा 23 (1 से 4 तक) तथा नियम एवं विनियम के अधीन आवश्यक लेखा -बही एवं अन्य संबंधित अभिलेख संस्थान द्वारा उचित अवस्था में रखे गए हैं ।

(IV) हम आगे यह प्रतिवेदित करते हैं कि,

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 पूंजी निधि (अनुसूची-1) ₹ 989.33 करोड़

वर्ष के दौरान संस्थान ने योजना शीर्ष के तहत ₹ 99.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया एवं ₹ 0.04 करोड़ का व्याज अर्जित किया। योजना शीर्ष के तहत विगत में अव्ययित अनुदान योजना शीर्ष के तहत ₹47.78 करोड़ था। इस प्रकार संस्थान के पास कुल अनुदान ₹ 146.82 करोड़ थे। वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान ने योजना शीर्ष के तहत ₹ 95.48 करोड़ इस्तेमाल किया। अतः संस्थान से मंत्रालय को वापसी योग्य अनुदान के रूप में ₹ 51.34 करोड़ प्रदर्शित करना अपेक्षित था। गैर -उल्लेख के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में न्यूनोक्ति और पूंजीनिधि में ₹51.34 करोड़ की अतियोक्ति हुई।

क.1.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित लेखा के नए प्रारूप के अनुसार सरकारी अनुदान के पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली राशि को पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है और ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित अनुपयोगी अनुदानों को वहन किया जाता है और बैलेंस शीट में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा करने से यह पता चलता है कि संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान /योजना अनुदान से कुल ₹ 67.60 करोड़ (अनुसूची -VI-₹67.23 करोड़+आय एवं व्यय खाता-₹0.37 करोड़) पूंजीगत व्यय किया। हालांकि संस्थान ने ₹ 74.90 करोड़ की राशि पूंजी निधि में स्थानांतरित किया है।

इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निधि में अतियोक्ति एवं उप शीर्ष अप्रयुक्त अनुदान के तहत वर्तमान देयताओं में ₹ 7.30 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

क.2. आरक्षित एवं अधिशेष (अनूसूची-II) : ₹87.79 करोड़

एच इ एफ ए के साथ हुए ऋण समझौते एवं स्वीकृति आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार, मूल राशि 20 अर्धवार्षिक किस्तों (₹ 13.47 करोड़ ×19+ ₹13.48 करोड़ ×1) में आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से चुकता करनी है। ऋण की अदायगी, ऋण संवितरण तिथि के छठे महीने से आरंभ करनी है। स्वीकृति पत्र में आगे यह उल्लेखित है कि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने पर एस्क्रो बैंक सं0 1 ₹ 13.47 करोड़ डेबिट करेगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने में समान राशि ऋण खाते के बंद होने तक डेबिट करता रहेगा तथा मूल राशि का भुगतान अदायगी खाते (एस्क्रो बैंक सं0 3) में करना है। इस प्रकार एस्क्रो बैंक सं0 3 में प्राप्त राशि संस्थान के अनुदेश के अनुसार ऋण अदायगी की नियत तिथि को पहले अल्प अवधि जमा में निवेशित होगी। इस राशि को देय किस्त में समायोजित किया जाएगा। एच इ एफ ए ने ऋण की पहली किस्त के रूप में जनवरी 2019 में रू0 50.00 करोड़ संवितरित किया। 31.03.2020 तक एच इ एफ ए ने कुल ₹ 114.50 करोड़ ऋण संवितरित किया था।

संस्थान ने अपने अधिशेष आय से ₹ 40.91 करोड़ एच इ एफ ए बिल्डिंग रिजर्व एवं आईआरजी को स्थानांतरित किया । परंतु संस्थान ने "एच इ एफ ए बिल्डिंग फंड रिजर्व" उप शीर्ष के तहत मात्र ₹ 26.94 करोड़ (₹ 13.47 करोड़ X 2 किस्त) ही प्रदर्शित किया एवं शेष राशि ₹ 13.97 करोड़ को अनियमित रूप से नए उप शीर्ष "आईआरजी रिजर्व" के तहत दिखाया था । इसे अनियमित मान लेने के परिणामस्वरूप आय में न्यूनोक्ति एवं रिजर्व एवं अधिशेष में ₹ 13.97 करोड़ की अतियोक्ति हुई ।

क.3. चिन्हित / एंडवमेंट निधियाँ (अनुसूची -III)-108.87 करोड़

क.3.1. आकस्मिक देयताओं की अनुसूची एवं लेखा की टिप्पणियाँ से पता चलता है कि परियोजना निधि के निवेश से अर्जित ब्याज को एंडवमेंट फंड में स्थानांतरित किया गया था । लेकिन यह व्यवहार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा एंडाउमेंट फंड (गैर योजना) ब्लाक ग्रांट के लिए जारी दिशा -निर्देश के अनुरूप नहीं है। संस्थान को, ब्लाक ग्रांट योजना, 2005 के तहत सृजित आंतरिक राजस्व को ब्लाक ग्रांट की अवधि के दौरान रोक कर रखने की अनुमति थी । यह योजना 2009-10 में बंद हो गई थी ।

हालांकि संस्थान ने वर्ष के दौरान ₹ 8.14 करोड़ की परियोजना निधि से अर्जित ब्याज को अनियमित रूप से एंडाउमेंट फंड में स्थानांतरित किया । इस राशि को संगत परियोजना निधियों में जमा किया जाना था । इस अनियमित व्यवहार के परिणाम स्वरूप एंडाउमेंट फंड की अतियोक्ति हुई और परियोजना निधि शीर्ष में रु 8.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई ।

क.4 परिसम्पत्तियां

क.4.1. अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची-VI)- ₹ 1057.59 करोड़

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) ने संस्थान में चल रहे 41 विभिन्न निर्माण कार्यों में से ₹122.89 करोड़ मूल्य के 05 निर्माण कार्य (भवन एवं अन्य कार्य) पूर्ण करके संस्थान को सौंप दिया था परंतु संस्थान ने इन्हें सपती रजिस्टर में पूंजीकृत नहीं किया ।

इसके परिणाम स्वरूप भवन शीर्ष में न्यूनोक्ति एवं पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्लूआइपी) में ₹122.89 करोड़ की अतियोक्ति हुई । इसके अतिरिक्त इन पर अवमूल्यन प्रभार भी नहीं लिया गया।

इसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्लूआइपी) में अतियोक्ति एवं परिसंपति में ₹122.89 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई । इसके आगे अवमूल्यन में ₹2.46 करोड़ (₹ 122.89 करोड़ के 2% की दर से) की न्यूनोक्ति एवं आय में इसी राशि के अतियोक्ति हुई ।

कार्य का नाम	राशि/व्यय (₹ करोड़ में)
600 कमरों के महिला छात्रावास के मार्फत	97.10
3.5 एकड़ की 40 चहारदीवारी	1.12
पेट्रोलियम अवेन्यू में चहारदीवारी के मार्फत	0.19
चहारदीवारी एवं रेटेनिंग वाल के मार्फत	0.60
800 कमरों के छात्रावास के मार्फत	23.88
कुल	122.89

क.4.2. संस्थान ने वर्ष 2016-17 से योजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार किया है । वर्ष 2016-17 से पहले योजना अनुदान की परिसंपत्ति का कुल मूल्य ₹ 305.89 करोड़ था । संस्थान ने वर्ष 2017-18 से गैर योजना एवं परियोजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार किया है । संस्थान ने 2017-18 से पहले के गैर योजना एवं परियोजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार नहीं किया है । वर्ष 2017-18 से पहले के गैर योजना एवं परियोजना योजना अनुदान की परिसंपत्तियों के कुल मूल्य क्रमशः ₹ 62.55 करोड़ एवं ₹ 439.49 करोड़ थे।

क.5 निवेश (अनुसूची -VIII)- ₹ 263.42 करोड़

क.5.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय विवरण प्रारूप के अनुसार, नियत जमा/आवधिक जमा की की गणना वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष के तहत की जाती है । हालांकि संस्थान ने उपर्युक्त राशि को "निवेश" शीर्ष के तहत दर्शाया गया जिसके परिणाम स्वरूप निवेश में अतियोक्ति एवं वर्तमान परिसंपत्ति में ₹ 263.42 करोड़ (एफ़डीआर योजना ₹ 19.76 करोड़ , गैर - योजना ₹ 97.59 करोड़ एवं परियोजना ₹ 146.07 करोड़) की न्यूनोक्ति हुई ।

क.6 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची -IX)- ₹ 77.74 करोड़

क.6.1 संगत अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि पूंजी निधि शीर्ष के तहत 2019-20 से पहले सीपीडबल्यूडी को निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹ 179.43 करोड़ की निधि जारी की गई थी और 2019-20 के दौरान ₹ 62.09 करोड़ जारी किए गए । इस प्रकार सीपीडबल्यूडी को बतौर अग्रिम जारी की गई कुल राशि ₹ 241.52 करोड़ हुई ।

हालांकि, संस्थान ने ₹ 18.65 करोड़ (अनुसूची -IX) सीपीडबल्यूडी को अग्रिम के रूप में एवं ₹ 222.87 करोड़ सीडबल्यूआईपी के तहत दिखाया । इसके परिणाम स्वरूप सीपीडबल्यूडी को अग्रिम में न्यूनोक्ति एवं सीडबल्यूआईपी में ₹ 222.87 करोड़ राशि की अतियोक्ति हुई ।

क.6.2 संगत अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि संस्थान ने 5 भवनों के निर्माण हेतु एच ई एफ़ ए से ₹ 64.50 करोड़ सीपीडबल्यूडी को बतौर अग्रिम दिये थे और संस्थान ने इस राशि को सीपीडबल्यूडी को अग्रिम के बजाय पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) (गैर -योजना अनुसूची-VI) में रखा । इसके परिणाम स्वरूप सीडबल्यूआईपी में अतियोक्ति एवं सीपीडबल्यूडी को अग्रिम में ₹ 64.50 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई ।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित लेखा के प्रारूप के अनुसार निवेश से अर्जित व्याज का लेखांकन आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में करना है ।

संस्थान ने नियत जमा से ₹ 5.21 करोड़ (अनुसूची - Xii) एवं बचत बैंक खाते से ₹0.09 करोड़ व्याज अर्जित किया । परन्तु संस्थान ने केवल बचत बैंक खाते से अर्जित व्याज को ही आय एवं व्यय खाते में जमा किया । नियत जमा से अर्जित व्याज को एंडाउमेंट फंड में जमा करना मानव

संस्थान ने अपने अधिशेष आय से ₹ 40.91 करोड़ एच इ एफ ए बिल्डिंग रिजर्व एवं आईआरजी को स्थानांतरित किया । परंतु संस्थान ने "एच इ एफ ए बिल्डिंग फंड रिजर्व" उप शीर्ष के तहत मात्र ₹ 26.94 करोड़ (₹ 13.47 करोड़ X 2 किस्त) ही प्रदर्शित किया एवं शेष राशि ₹ 13.97 करोड़ को अनियमित रूप से नए उप शीर्ष "आईआरजी रिजर्व" के तहत दिखाया था । इसे अनियमित मान लेने के परिणामस्वरूप आय में न्यूनोक्ति एवं रिजर्व एवं अधिशेष में ₹ 13.97 करोड़ की अतियोक्ति हुई ।

क.3. चिन्हित / एंडवमेंट निधियाँ (अनुसूची -III)-108.87 करोड़

क.3.1. आकस्मिक देयताओं की अनुसूची एवं लेखा की टिप्पणियाँ से पता चलता है कि परियोजना निधि के निवेश से अर्जित ब्याज को एंडवमेंट फंड में स्थानांतरित किया गया था । लेकिन यह व्यवहार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा एंडाउमेंट फंड (गैर योजना) ब्लाक ग्रांट के लिए जारी दिशा -निर्देश के अनुरूप नहीं है। संस्थान को, ब्लाक ग्रांट योजना, 2005 के तहत सृजित आंतरिक राजस्व को ब्लाक ग्रांट की अवधि के दौरान रोक कर रखने की अनुमति थी । यह योजना 2009-10 में बंद हो गई थी ।

हालांकि संस्थान ने वर्ष के दौरान ₹ 8.14 करोड़ की परियोजना निधि से अर्जित ब्याज को अनियमित रूप से एंडाउमेंट फंड में स्थानांतरित किया । इस राशि को संगत परियोजना निधियों में जमा किया जाना था । इस अनियमित व्यवहार के परिणाम स्वरूप एंडाउमेंट फंड की अतियोक्ति हुई और परियोजना निधि शीर्ष में रु 8.14 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई ।

क.4 परिसम्पतियां

क.4.1. अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची-VI)- ₹ 1057.59 करोड़

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) ने संस्थान में चल रहे 41 विभिन्न निर्माण कार्यों में से ₹122.89 करोड़ मूल्य के 05 निर्माण कार्य (भवन एवं अन्य कार्य) पूर्ण करके संस्थान को सौंप दिया था परंतु संस्थान ने इन्हें सपती रजिस्टर में पूंजीकृत नहीं किया ।

इसके परिणाम स्वरूप भवन शीर्ष में न्यूनोक्ति एवं पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्लूआइपी) में ₹122.89 करोड़ की अतियोक्ति हुई । इसके अतिरिक्त इन पर अवमूल्यन प्रभार भी नहीं लिया गया।

इसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्लूआइपी) में अतियोक्ति एवं परिसंपति में ₹122.89 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई । इसके आगे अवमूल्यन में ₹2.46 करोड़ (₹ 122.89 करोड़ के 2% की दर से) की न्यूनोक्ति एवं आय में इसी राशि के अतियोक्ति हुई ।

कार्य का नाम	राशि/व्यय (₹ करोड़ में)
600 कमरों के महिला छात्रावास के मार्फत	97.10
3.5 एकड़ की 40 चहारदीवारी	1.12
पेट्रोलियम अवेन्यू में चहारदीवारी के मार्फत	0.19
चहारदीवारी एवं रेटेनिंग वाल के मार्फत	0.60
800 कमरों के छात्रावास के मार्फत	23.88
कुल	122.89

क.4.2. संस्थान ने वर्ष 2016-17 से योजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार किया है । वर्ष 2016-17 से पहले योजना अनुदान की परिसंपत्ति का कुल मूल्य ₹ 305.89 करोड़ था । संस्थान ने वर्ष 2017-18 से गैर योजना एवं परियोजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार किया है । संस्थान ने 2017-18 से पहले के गैर योजना एवं परियोजना के अचल परिसंपत्तियों के लिए रजिस्टर तैयार नहीं किया है । वर्ष 2017-18 से पहले के गैर योजना एवं परियोजना योजना अनुदान की परिसंपत्तियों के कुल मूल्य क्रमशः ₹ 62.55 करोड़ एवं ₹ 439.49 करोड़ थे।

क.5 निवेश (अनुसूची -VIII)- ₹ 263.42 करोड़

क.5.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय विवरण प्रारूप के अनुसार, नियत जमा/आवधिक जमा की की गणना वर्तमान परिसंपत्ति शीर्ष के तहत की जाती है । हालांकि संस्थान ने उपर्युक्त राशि को "निवेश" शीर्ष के तहत दर्शाया गया जिसके परिणाम स्वरूप निवेश में अतियोक्ति एवं वर्तमान परिसंपत्ति में ₹ 263.42 करोड़ (एफ़डीआर योजना ₹ 19.76 करोड़ , गैर - योजना ₹ 97.59 करोड़ एवं परियोजना ₹ 146.07 करोड़) की न्यूनोक्ति हुई ।

क.6 वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची -IX)- ₹ 77.74 करोड़

क.6.1 संगत अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि पूंजी निधि शीर्ष के तहत 2019-20 से पहले सीपीडबल्यूडी को निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹ 179.43 करोड़ की निधि जारी की गई थी और 2019-20 के दौरान ₹ 62.09 करोड़ जारी किए गए । इस प्रकार सीपीडबल्यूडी को बतौर अग्रिम जारी की गई कुल राशि ₹ 241.52 करोड़ हुई ।

हालांकि, संस्थान ने ₹ 18.65 करोड़ (अनुसूची -IX) सीपीडबल्यूडी को अग्रिम के रूप में एवं ₹ 222.87 करोड़ सीडबल्यूआईपी के तहत दिखाया । इसके परिणाम स्वरूप सीपीडबल्यूडी को अग्रिम में न्यूनोक्ति एवं सीडबल्यूआईपी में ₹ 222.87 करोड़ राशि की अतियोक्ति हुई ।

क.6.2 संगत अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि संस्थान ने 5 भवनों के निर्माण हेतु एच ई एफ़ ए से ₹ 64.50 करोड़ सीपीडबल्यूडी को बतौर अग्रिम दिये थे और संस्थान ने इस राशि को सीपीडबल्यूडी को अग्रिम के बजाय पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) (गैर -योजना अनुसूची-VI) में रखा । इसके परिणाम स्वरूप सीडबल्यूआईपी में अतियोक्ति एवं सीपीडबल्यूडी को अग्रिम में ₹ 64.50 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई ।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित लेखा के प्रारूप के अनुसार निवेश से अर्जित व्याज का लेखांकन आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में करना है ।

संस्थान ने नियत जमा से ₹ 5.21 करोड़ (अनुसूची - Xii) एवं बचत बैंक खाते से ₹0.09 करोड़ व्याज अर्जित किया । परन्तु संस्थान ने केवल बचत बैंक खाते से अर्जित व्याज को ही आय एवं व्यय खाते में जमा किया । नियत जमा से अर्जित व्याज को एंडाउमेंट फंड में जमा करना मानव

संसाधन विकास मंत्रालय के उपबंधों का उल्लघन है । इसके परिणाम स्वरूप एंडाउमेंट फंड में अतियोक्ति एवं आय में ₹ 5.21करोड़ की न्यूनोक्ति हुई ।

ग. लेखांकन नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां

ग.1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की XX अनुसूची के अनुसार संस्थान द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ का हिसाब नकद आधार पर किया गया था । यह लेखांकन नीति लेखा के आम प्रारूप का उल्लंघन करती है जिसमें यह उल्लेख है कि वार्षिक लेखा में सेवानिवृत्ति लाभ की गणना वास्तविक मूल्यांकन आधार पर होती है ।

घ. सामान्य

घ1. वर्तमान परिसंपत्तियों में विसंगति (अनुसूची -xI)

वित्तीय वर्ष 2019-20 वार्षिक लेखा की गैर- योजना के बैंक बुक के साथ संवीक्षा करने पर यह पता चलता है कि “वर्तमान परिसंपत्ति” शीर्ष के तहत जो राशि वार्षिक लेखा में दिखाई गई थी वह गैर योजना बैंक बुक के अंत शेष राशि से मेल नहीं खाती थी । विवरण निमन्वत है :

क्रम संख्या	बैंक खाते का नाम	बैंक खाते के अनुसार राशि (31.03.2020)	वार्षिक लेखा में ली गई राशि
1	एसबीआई आईएसएम शाखा (गैर योजना चालू खाता10230776189)	18,89,886	19,29,486
2	एसबीआई ऑनलाइन शुल्क चालू खाता 8197	60,310.60	20,710.60

ड. सहायता अनुदान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग से संस्थान को कुल ₹ 308.99 करोड़ (₹ 99.00 करोड़ पूंजीगत अनुदान के रूप में और ₹ 209.99 करोड़ राजस्व अनुदान के रूप में) योजना अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान पूंजी शीर्ष के तहत प्राप्त व्याज ₹ 0.32 करोड़ (₹0.28 करोड़ राजस्व के और ₹ 0.04 करोड़ पूंजी के तहत) था । संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित ₹ 47.78 करोड़ (₹ 47.78 करोड़ पूंजी के) था । इस प्रकार संस्थान के पास कुल निधि ₹ 357.09 करोड़ (₹ 146.82 करोड़ पूंजी के तथा ₹ 210.27 करोड़ गैर योजना के) थी । जिसमें से संस्थान ने वर्ष के दौरान इसमें से कुल ₹ 325.18 करोड़ की राशि (₹ 95.48 करोड़ पूंजी के और राजस्व के ₹ 229.70 करोड़) का उपयोग किया और 31.03.2020 को ₹ 51.34 करोड़ (₹ 51.34 करोड़ पूंजी के एवं राजस्व के ₹ शून्य) अव्ययित राशि के रूप में शेष थे ।

च. प्रबंधन पत्र

संस्थान के प्रबंधन को उन कमियों के बारे में जानकारी देने के लिए, जिन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उनके समाधान/सुधार के लिए अलग से प्रबंधन पत्र जारी किया गया है ।

(v) पिछले अनुच्छेदों में हमारे निरीक्षण टिप्पणी के साथ हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस प्रतिवेदन में जिस तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वह लेखा बहियों के अनुरूप है ।

(vi) हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरणियां, लेखा टिप्पणियों तथा लेखा नीतियों के साथ पठित तथा उपर उल्लिखित महत्वपूर्ण विषय एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है:

(क) जहां 31 मार्च 2020 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद के कार्य की अवस्था, तुलन पत्र का संबंध है तथा,

(ख) जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ओर से

स्थान: लखनऊ

हस्ताक्षरित

दिनांक: 13.1.2021

महानिदेशक लेखा परीक्षा(केंद्रीय), लखनऊ

प्रतिवेदन के अनुलग्नक

1. समुचित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रण ने निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियां दर्शायीं हैं :

क. संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था है । जिसमें एक सहायक कुलसचिव एवं उच्च श्रेणी लिपिक है ।

ख. स्वायत्त निकाय के आकार को देखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा की यह संरचना अपर्याप्त है ।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, क्रय वाउचरों के पूर्व परीक्षण एवं वेतन निर्धारण तक ही सीमित है ।

घ. इस विंग द्वारा संस्थान के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा एवं अन्य मूलभूत अभिलेखों की जांच नहीं की जाती है ।

ङ. इस संस्थान द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित नियमावली भी तैयार नहीं की गई है ।

च. आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और न ही इसे प्रबंधन को सौंपा गया ।

2. समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

क. संस्थान ने आंतरिक लेखा परीक्षा और कार्यालय प्रक्रिया नियमावली नहीं बनाई ।

ख. रोकड़, मूल्यवान, स्टोर के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को क्रमावर्तित रूप में ड्यूटि लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

ग. निपटान हेतु 5 वर्षों से अधिक समय तक लंबित पड़े हुए अग्रिम को खाते में अलग से नहीं दिखाया जाता है ।

घ. लेखा परीक्षा के बकाया पड़े प्रेक्षणों का अनुपालन नहीं हुआ जो अनुवर्ती प्रक्रिया की खराब स्थिति को दर्शाता है ।

3. परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं वस्तु सूची

क. वर्ष के दौरान संस्थान ने अचल परिसम्पत्तियों एवं उपयोज्य एवं गैर उपयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं कराया ।

4. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से हुआ ।